35

RESIDENTS WELFARE ASSOCIATION SADAR DELHI (Regd.)

Member of Bhagidari (Govt. of Delhi)

भागीदारी
नागरिक-सरकार साझेदारी

मेरी दिल्ली
मैं ही सवारूँ

OFFICE : 142, 2nd Floor, New Qutab Road, Near Pulmithai,
Sadar Bazar. DELHI - 110006. (M) 9811170946 9312515799

Sanjeev Rathore (President)
Suresh Kumar (Vice President)
Smt. Veena Gaur (Gen. Secretary)
Shazad Ahmad (Secretary)
Sanjay Kataria (Org. Secretary)
Pardeep Kumar (Treasurer)
Kashi Nath Jha (Advocate) (Supreme Court) Legal Adviser
Madan Lal Gupta (Advocate) (Delhi High Court) Legal Adviser
Avinash Gupta (Advocate) (Delhi High Court) Legal Adviser
Rajesh K. Rathore (Advocate) (Delhi High Court) Legal Adviser

दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्रीय डायरी प्राप्ति एवं प्रेषक (मुख्य)
30 DEC 2011
R-8984

SPEED POST

O.S.D. (PLG)
Diary No. 648
Date 9-1-12

दिनांकः 27/12/2011

सेवा में,

श्रीमान प्रधान आयुक्त महोदय
दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-23

विषयः दिल्ली मास्टर प्लान-2012 में संशोधन, मिश्रित भूमि उपयोग एवं भवन उपनियम के लिए सुझाव पत्र।

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 1687
Dated 9/1/12

Commr. (Plg) - II
Despatch 14
Date 3-1-12

महोदय,

निवेदन है कि केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है कि रेजीडेटंस वेलफेयर एसोसिएशन अपने अपने क्षेत्र के दिल्ली मास्टर प्लान में संशोधन के लिए सुझाव मांगे है रेजीडेटंस वेलफेयर एसोसिएशन सदर बाजार (रजि.) अपने सदर क्षेत्र के लिए सुझााव आपके समक्ष प्रेषित कर रही है। ताकि इन सुझावों पर विचार किया जाए।

सदर क्षेत्र रिहायशी एवं व्यवासायिक दोनों प्रकार का मिलाजुला क्षेत्र है। सदर क्षेत्र में रिहायशी एवं व्यवसायिक चार पाँच फ्लोर बिना किसी सरकारी प्लान एवं मान्यता के अवैध रूप से अवैध निमार्ण करके व्यवसायिक एवं रिहायश लोगों ने बना रखी है। जिसके कारण सदर क्षेत्र की नागरिक समाजिक सुरक्षा एवं जान माल की सुरक्षा का खतरा बना रहता है।

सुझाव

1. सदर में ज्यादातर दो तीन मीटर चौड़ी गलियां जिन्होंने एक से चार पाँच मंजिलो तक दुकान, गोदाम, कार्यालय एवं रिहायश बनी हुई है। प्राकृति आपदा में आग लगने पर एवं पतली गलियों मे राहत पहुचना बहुत कठिन कार्य होता है। जिस से जान माल का ज्यादा नुकसान होता है। और नागरिक समाजिक सुरक्षा का खतरा बन जाता है। पतली एवं छोटी गलियों में व्यवसायिक गतिविधि करने की इजाजत नही दी जाए।

सचिव कार्यालय
SECRETARY'S OFFICE
डायरी सं० 229 MP
Dy. No.
दिनांक
Date

Commr. (Plg.)-II
2103 3/1/12

34

2 सदर क्षेत्र में जमीन तल को ही व्यावसायिक गतिविधि करने की इजाजत दीजाए पहली मंजिल से उपर रिहायशिक्षेत्र घोषित किया जाए। तीन मजिल से ज्यादा कानूनी रुप से किसी को भी बिल्डिंग बनाने की इजाजत नही दी जाए।

3 सदर क्षेत्र मे नागरिक समाजिक सुविधा जैसेः- बिजली, पानी, सिवर, सफाई, गली सड़क को चौडा करना, ट्रेफिक, पार्किंग व्यवस्था करने सरकारी सभी सुविधाओं को पुरा कर के व्यवसायिक क्षेत्र घोषित किया जाए।

4 सदर क्षेत्र में बिना किसी माप दण्ड के जो बिल्डिगें अवैध निर्माण कर चार पांच मंजिले बनी हुई है व आज ज्यादातर बिल्डिगे खतरनाक स्थिति में है जिस के कारण लोगो के जान माल एवं समाजिक नागरिक सुरक्षा का खतरा बना हुआ है। इन बिल्डिग को तुडवा कर प्लान में संशोधन कर कानूनी रुप से व्यवस्थित कर सदर क्षेत्र को रिहायशी एवं व्यसायिक क्षेत्र घोषित किया जाए।

अतः महोदय से निवेदन है की उपरोक्त सभी सुझावों एवं सदर क्षेत्र की जन समास्याओं कें सुधार व विकास के लिए आप के सहयोग के लिए 24 घण्टे तत्पर है। उपरोक्त सुझाव पर ध्यान दें। आप की अति कृपा होगी।

धन्यवाद

भवदीय

[signature]

अध्यक्ष

SANJEEV RATHORE
President
Residents WelfareAssocation
Sadar Delhi
Member Bhagidari (Govt. of Delhi)
Off.: 142, IInd Floor, New Qutab Road,
Near Pul Mithai, Sadar Bazar, Delhi-6

33

योगेन्द्र चान्दोलिया
अध्यक्ष :
स्थायी समिति
दिल्ली नगर निगम

कमरा नं. 216
सिविक सेन्टर, मिन्टो रोड
नई दिल्ली–110002

दूरभाष : 23228211
23228212
मो. : 9958693092
9810578491

क्रमांक : 2/1968/Ch.stdg.cte./2011

दिनांक : 20/12/2011

माननीय / माननीया,

सादर नमस्कार!

नववर्ष 2012 की आपको व आपके एसोसियेशन के सभी सदस्यों को सपरिवार सुख समृद्धि की शुभकामनाएं।

माननीय श्री कमलनाथ, शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार ने संसद में घोषणा की है कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को और बेहतर तथा जनोपयोगी बनाने के लिए विशेषज्ञों तथा जनता से सुझाव मांग जा रहे हैं। जिससे कि इसमें वांछित संशोधन किया जा सके।

दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों को लागू करने के जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम पर भी है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि आप अपने सुझाव 27 दिसम्बर 2011 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को भेज दें जिससे कि उन पर विचार करने के पश्चात् प्राप्त संशोधनों को भारत सरकार के पास विचारार्थ एवं संशोधित दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में समाहित करने के लिए भेजा जा सके।

कृपया इस विषय में वांछित कार्यवाही समय सीमा के अन्दर करें।

Received.
SANJEEV RATHORE
President
Residents Welfare Assocation
Sadar Delhi
Member Bhagidari (Govt. of Delhi)
Off.: 142, IInd Floor, New Qutab Road,
Near Pul Mithai, Sadar Bazar, Delhi-6
26-12-2011

(योगेन्द्र चॉदोलिया)

32

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
MASTER PLAN FOR DELHI-2021
D-6, VASANT KUNJ NEAR FLYOVER
NEW DELHI-110070

No.F20 (4)2005/ MP/Pt-II-(B) / D-926 Dated: 23.08.2006

To

Mr. Sanjeev Rathore, 95
President,RWA Sadar Delhi,
142, Second Floor,New Qutab Road, Near Pulmithai,
Sadar Bazaar,Delhi û 110006
Mob: 9811170946

Sub: Public hearing of Objections/ Suggestions on MPD-2001-proposed amendments in the Mixed Use Policy and Development Controls Norms for Residential Plotted Development.

Sir,

This is to refer to your Objection/ Suggestion on MPD-2001-proposed amendments in the Mixed Use Policy and Development Controls Norms for Residential Plotted Development filed in response to the Public Notice dated 21.07.06.

You are requested to present your objection/suggestion before the Board of Enquiry and Hearing constituted for the purpose, on 25.08.06 at 3.00 pm., in the Conference Hall (Ground floor), B-Block, DDA Vikas Sadan, INA, New Delhi.

Asstt. Director (Plg.)-MPPR

31

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
MASTER PLAN FOR DELHI-2021
D-6, VASANT KUNJ NEAR FLYOVER
NEW DELHI-110070

No.F20 (4)2005/ MP/Pt-II-(B) | D-937 Dated: 23.08.2006

To

Sanjeev Rathore, 130
President,
Residents Welfare Association Sadar Delhi,
142,2nd floor, New Qutub Road, Near Pulmithai,
Sadar Bazar, Delhi-110006.
Ph. 23619977, 9811170946 (M)

Sub: Public hearing of Objections/ Suggestions on MPD-2001-proposed amendments in the Mixed Use Policy and Development Controls Norms for Residential Plotted Development.

Sir,

This is to refer to your Objection/ Suggestion on MPD-2001-proposed amendments in the Mixed Use Policy and Development Controls Norms for Residential Plotted Development filed in response to the Public Notice dated 21.07.06.

You are requested to present your objection/suggestion before the Board of Enquiry and Hearing constituted for the purpose, on 28.08.06 at 3.00 pm., in the Conference Hall (Ground floor), B-Block, DDA Vikas Sadan, INA, New Delhi.

Aggarwal

Asstt. Director (Plg.)-MPPR